न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 188—एक/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—12—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 844/अपील/2006—07.

.....

1—श्रीमती देवकली पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी
पत्नी श्री रविशरण त्रिपाठी निवासी ग्राम डेगरहट
तहसील रामपुर बघेलांन हाल निवासी सा0 इटौरा
तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

2—श्रीमती आरती पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी
पत्नी श्री विजय कुमार द्विवेदी निवासी डेगरहट
तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना हाल निवासी
ढाडी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—जगदीश प्रसाद तिवारी तनय गयादीन तिवारी (मृत)

2—श्री यज्ञनारायण तिवारी तनय स्व0 जगदीश प्रसाद
तिवारी निवासी ग्राम डेगरहट तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0 प्र0

3—श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 जगदीश प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम. डेगरहट तहसील रामपुर बघेलान
जिला सतना म0 प्र0

—— अनावेदकगण

/ /2/ /प्रकरण क्रमांक निगरानी 188–एक/2008

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक–2

अनावेदक कमांक–3 अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 24-10-2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत डेंगरहट विकास खण्ड रामपुर बघेलान के नामांतरण पंजी कमांक 8 में पारित आदेश दिनांक 16.8.04 के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 23.5.07 को स्वीकार की गई इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 29.12.07 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा अपील के साथ पक्षकार माने जाने तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो शपथ पत्र से समर्थित था। उत्तरवादी द्वारा श्पथ पत्र का कोई खण्डन नहीं किया गया। प्रथम अपील में सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है इस प्रकार प्रथम अपील में धारा 5 का आवेदन पत्र अखंडित शपथ पत्र से समर्थत था जिसको स्वीकार कर प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है परन्तु बिना किसी पर्याप्त कारण के प्रथम अपील में पारित आदेश को निरस्त करने में महान भूल की है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 की ग्राम डेंगरहट की नामांतरण पंजी कमांक 8 में प्रारूप ''ख'' में जो उद्घोषणा संलग्न है उसके अवलोकन से यह पाया जाता है सुनवाई की जो तारीख दर्ज है उसमें मसकूफ (over writing) है तथा इसमें भूमियों के जो सर्वे नंबर अंकित है वह न तो आवेदन में अंकित अनुसार क्रम से है ओर न जमाबंदी के अनुसार बढ़ते कम की निरंतरता में ही हैं। उद्घोषणा के जारी होने की कोई तारीख भी दर्ज नहीं है। उद्घोषणा किसके द्वारा एवं कब तामील की गई है ऐसी कोई तामीली रिपोर्ट दर्ज नहीं है। पंजी में आवेदन व बटवारा पुल्ली भी मूल प्रति में नहीं होकर उनकी छाया प्रतियां चस्पा की गई हैं कथित आवेदन पत्र में कोई दिनांक अंकित नहीं हैं, कथित आवेदन पत्र में द्वितीय पक्ष कमांक 1 यज्ञनारायण के हिस्सा विवरण में पहले बाई ओर 6 किता आराजियों दर्ज कर योग लगाया गया उसमें पूर्व में दर्ज योग रकवा में over writing करके जीरो–जीरो कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि उसमें कूट रचना की गई है। नामांतरण पंजी के खाना 9 में ग्राम पंचायत डेंगरहट के प्रस्ताव कमांक 4/1 दिनांक 16.8.04 द्वारा मंजूर करने का हवाला दर्ज है। दिनांक 16.8.04 की ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पंजी का अवलोकन करने पर पाया था कि उसमें प्रस्ताव कमांक 4/1 में अन्य मामला श्रीमती आरती सिंह बनाम आशादेवी के नाम बिक्री रजिस्टर्ड पत्र का नामांतरण का प्रकरण दर्ज करने बावत अंकित है तथा प्रस्ताव कमांक 2 में इस अपील मामले से संबंधित मामला दर्ज है। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों से विचारण न्यायालय की समस्त कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है, तथा प्रथम दृष्टया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विवेचना करते हुये यह भी उल्लेख किया गया है कि बटवारा पुल्ली व आवेदन में कोई तारीख नहीं पड़ी है। ग्राम पंचायतों को केवल धारा 178 के अविवादित मामलों को निबटाने की अधिकारिता प्रदान की गई है।

6– उपरोक्त बिवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पैरा –5 की कंडिका –5 की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है जिसमें उनके द्वारा धारा–5 के आवेदन का निराकरण किया जाकर उसके बाद गुण–दोष पर निराकरण किया

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर सर्वप्रथम धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन के निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जबकि प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कंडिका 5 में म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र का ही निराकरण किया है। तत्पश्चात कंडिका 6 में गुण दोष पर विचार कर अंतिम आदेश पारित किया है परन्तु द्वितीय अपील में अपर आयुक्त रीवा द्वारा उक्त बिन्दुओं पर कोई गौर न कर आदेश देने में कानूनी भूल की है। विधि में यह अपेक्षित है, अवधि वाधित अपील में सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिये। यह कहीं भी अपेक्षित नहीं है कि जिस दिन अपील में धारा– 5 का आवेदन पत्र निराकृत किया जाय, उस दिन अंतिम निराकरण नहीं किया जा सकता, परन्तु अपर आयुक्त ने न्याय दृष्टांत का गलत निर्वचन कर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। जब प्रथम अपील में सुनवाई हुई थी तब गुण दोष एवं म्याद अधिनियम के धारा–5 सहित सभी आवेदन पत्र पर सुनवाई हुई थी इस प्रकार प्रथम अपील में अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने में कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। अतः प्रथम अपील में पारित आदेश आक्षेप योग्य नहीं था परन्तु द्वितीय अपील में आदेश पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29.12.07 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रावधानों से उचित है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का धारा–5 पर आदेश पारित न करते हुये गुण दोष पर आदेश पारित किया गया है, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29.12.07 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान को प्रत्यावर्तित करने का आदेश किया था, कि वह पहले धारा–5 के आवेदन पर आदेश पारित करें, जबकि धारा–5 का आदेश अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान द्वारा अपने आदेश के पैरा 5 की कंडिका 5 में धारा– 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 29.12.07 त्रुटि पूर्ण होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

7– परिणामस्वरूप न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 844/अपील/2006–07 में पारित आदेश 29.12.07 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2007 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर